BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 01 मार्च, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा 174ए के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अपराधी को 03 वर्ष के कारावास की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त धर्मपाल पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा थाना नरसैना पर पंजीकृत मुअसं- 172/20 धारा 420/406/506 भादवि में मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न होने व मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अभियुक्त धर्मपाल के विरुद्ध दिनांक 07.08.2021 को थाना नरसैना पर मुअसं- 318/21 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.09.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 01.03.2025 को न्यायाधीश श्री विकास चौधरी (मा0 न्यायालय एसीजेएम-III बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मपाल को 03 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री शिवम मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर